

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज</p>
<p>5-12-17</p>	<p>उपरोक्त पत्रावली पत्रावली अधिकांशी राजकीय कार्य से बाहर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 6-12-17 को पेश हो। <b>रीडर</b> उपखण्ड अधिकांशी मण्डल</p>
<p>6-12-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित, तहसीलदार माण्डल से मौफा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने सवेत 2010 से 2013 की जमावेंदी पेश की जिसे शा-पठ किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली में आदेश हेतु नियत दिनांक 10-12-19 को पेश हो।</p>
<p>10-12-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा पत्रावली कार्य स्थगन/बहिष्कार करने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 12-12-19</p>
<p>12-12-19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा- का अधिनियम के तहत अपनी स्वातेदारी आराजियात के आराजी नं. 1012, 1013 कुल फ्लिंग 02 रकबा 03 बीघा 04 प्रिस्वा भूमि जो ग्राम अमरगढ परवारहला अमरगढ तहसील माण्डल जिला भीलवाज में स्थित उक्त भूमि में प्रार्थी के डाने जाने हेतु रास्ता विपक्षी सं. 1, 2 की आराजी नं. 1017, 1016, 1015 फ्लिंग 03 रकबा 03 बीघा 13 बिल्वा मैसेपश्चिमी पाली (मेड) के सहारे-सहारे 12 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तुमा की।</p>

सहायक कलक्टर  
माण्डल जिला भीलवाज

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार गाण्डल द्वारा  
पेना की गई भौका रिपोर्ट पर अध्ययन व मंजूर किया  
गया। भौका रिपोर्ट में आराजी सं-1020 की लघुतम  
रास्ता बताया गया लेकिन आराजी सं. 1014 में कुआ  
बना लेकर शामिल होती है। इसीलिए कुए के उपभोग-  
उपभोग के प्रस्तावित भाग 1017, 1016, 1015 आराजी के  
रास्ते के ड्रेवने में फूट स्कैल पर अन्तर कम होने  
से लघुतम होने का अभिप्राय पोषणीय नहीं होता है।  
एवं आराजी सं-1014 में शामिल होती स्वतन्त्ररी व कुए  
को ड्रेवते हुए आराजी सं-1017, 1016, 1015 में से  
रास्ता देना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र  
अन्तर्गत धारा 251-A रा- का अधिनियम स्वीकार  
योग्य है अतः

०० आदेश ००

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा  
251-A रा- का अधिनियम स्वीकार किया जाकर  
प्रार्थी की आराजियात ग्राम अमरगढ़ परवारहल्ला  
अमरगढ़ तहसील गाण्डल जिला भीलवाड़ा में स्थित  
आराजी नम्बर 1012, 1013 कुलखिता 02 रुबवा  
03 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता  
राजस्व बैफार्ड में दर्ज नहीं है। एवं मौके पर कोई  
वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त भूमि  
में आने-जाने हेतु विपक्षीगण 01 लगायत 02  
की आराजी नं. 1017, 1016, 1015 कुलखिता 03  
रुबवा 03 बीघा 13 बिस्वा में से पश्चिमी पाली (मैड)  
के सहारे-सहारे 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने  
का आदेश दिया जाता है। 12 फीट चौड़ाई के रास्ते के  
काम में आने वाली भूमि की D.L.C. हर की डबल  
राशी नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्राधीगण  
सं. 1, 2, को भुगतान करे। अप्राधीगण की भूमि


सहायक कलक्टर  
गाण्डल जिला भीलवाड़ा

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रास्ते में आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड में सौ  
कम की जावे और भूमि को राजस्व रेकार्ड में रास्ता  
दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम किया जावे। एवं  
नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार  
मांडल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना  
हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवते  
हुए लिखा जावे।

पगावली फैसल सुमार होकर मठवर से कम की जावे।

  
सहायक कलेक्टर  
मांडल जिला भीलवाड़ा